संख्या-63/2026/I/1258580/2026/23-6099/111/2026

प्रेषक,

सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2026

विषयः- जनपद हरदोई, फिरोजाबाद, औरैया एवं शाहजहॉपुर के कुल 08 कार्यों की आई0ओ0सी0एल0/एच0पी०सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात कार्यो के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/356401/25, दिनांक 25.11.25, पत्रांक-I/361962/2025, दिनांक 29.11.25, पत्रांक-I/349923/2025, दिनांक 19.11.25 एवं पत्रांक-I/361958/2025, दिनांक 29.11.25 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद हरदोई, फिरोजाबाद, औरैया एवं शाहजहॉपुर के कुल 08 सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 1,73,28,501.00 की धनराशि को कार्य पर भारित करते हुए आई0ओ0सी0एल0/एच0पी०सी0एल0 को अग्रिम में भुगतान किया गया था और उक्त धनराशि को कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप आई0ओ0सी0एल0/एच0पी०सी0एल0 से वापस प्राप्त कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है, के समतुल्य धनराशि रू0 1,73,28,501.00 (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ एक मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनः अवमुक्त किए जाने का अधोलिखित विवरण/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	ट्रेजरी चालन के माध्यम से राजकोष में जमा की गयी है, का विवरण।		वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन		
					चालान संख्या	राजकोष में जमा की गयी धनराशि	अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि0ख0-1 हरदोई	जनपद हरदोईमें बावन-सवायजपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-29ए) के किमी0 22 में गर्रा नदी पर सेतु एवं पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के मरम्मत का कार्य।	62/2021/417/23-10-21-93(सेत)/2020 दिनांक 25.03.2021	51.32	51 दिनांक 24.02.23 61 दिनांक 22.11.23 64 दिनांक 22.11.23	29.34	23.12	6.22	29.34
2	नि0ख0-1 हरदोई	जनपद हरदोई में ग्राम हरपालपुर में सेढ़ा नाले पर 3X6 मी० स्पान के सेतु एवं पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के मरम्मत कार्य।	62/2021/417/23-10-21-93(सेत)/2020 दिनांक 25.03.2021	216.00	61 दिनांक 22.11.23 64 दिनांक 22.11.23	30.65	24.15	6.5	30.65

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	नि0ख0-1 हरदोई	जनपद हरदोई में असमधा सरायराघव मार्ग पर दहिरापुर के पास नाले पर 2x5 मी० स्पान के लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	122/2021 /1 294/23- 10-21- 14(सेतु)/ 2021 दिनांक-13-12-2021	79.98	61 दिनांक 22.11.23	0.16	0.13	0.03	0.16
4	नि0ख0-2 हरदोई	जनपद हरदोई में सण्डीला-गौसगंज-मल्लांवा-मेहदीघाट मार्ग से माहिमपुर सम्पर्क मार्ग पर 3X10 मी० स्पान (अखिडिया नाले पर) के आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य ।	74/2021/64 4/23-10-21-11 (सा)/202 1 दिनांक 09-07-2021	148.85	102 दिनांक 29.03.23	3.17	2.50	0.67	3.17
5	नि0ख0-फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में नगला मानधाती से मचन के बीच आवा नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	106/2021/8 27/23-10-21 -19 (सेतु) 20 21 दि० 29.11.21	74.30	C600044 दिनांक 06.04.23	30.00	23.64	6.36	30.00
6	प्रा.ख. औरैया	जनपद औरैया में ग्राम शिखरना में यमुना नदी के नाले पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	55/2020/19 4/23-10-20 -73(सेतु) दिनांक 23.03.2020	83.31	BN00045 दिनांक 23.02.23	10.04	7.91	2.13	10.04
7	तदैव	जनपद औरैया में ग्राम खेरा डाडा में यमुना नदी के नाले पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	तदैव	90.02	BN00045 दिनांक 23.02.23	11.48	9.050	2.43	11.48
8	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड ददरौल में गर्रा नदी पर ग्राम नागरपाल व चांदापुर के बीच सेतु, सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	228/2016/1 27 आ/23-10-16-91 (सेतु) / 2018 दि. 12.12.2016	1056.28	99 दिनांक 21.02.23	58.44501	46.04882	12.39619	58.44501
			कुल योग				**136.54882**	**36.73619**	**173.28501**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग/व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि वास्तविक रूप से राजकोष में जमा हो गयी है और राजकोष में जमा की गयी धनराशि उसी कार्य की है, जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्राप्त कर लिया जाय।

(3) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य पर किया जाए जिन कार्य पर प्रथमतः उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाए।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022. दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनावन्टन सम्बन्धी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-I/952140/2025, दिनांक 02-05-2025 एवं पत्र संख्या-I/962076/2025, दिनांक 14-05-2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाय। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई०ओ०सी०एल० से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रतियों भी अवश्य प्रेषित की जाए।

(10) उक्त कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,36,54,882 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार आठ सौ बयासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 36,73,619 (रुपये छत्तीस लाख तिहत्तर हजार छह सौ उन्नीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।